

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ-13(1)()निमअ/संस्थान/2012/ 36014


जयपुर, दिनांक 9/4/13

आदेश

कोपाल

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर रेल्वे स्टेशन के पास, पी.एच. रोड़ जयपुर केन्द्र के द्वारा दिनांक 15.04.2013 से 17.04.2013 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम (Development and Promotion of Rural Livelihood and NRLM programme through SHG Bank linkage) में निम्नलिखित कार्यक्रम अधिकारियों को भाग लेने हेतु मनोनीत किया जाता है--


1. श्रीमती शकुंतला, कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. - बारां
2. श्री कैलाशचन्द्र शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. - बूंदी
3. श्री विजय कुमार, कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. - श्रीगंगानगर
4. श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी, कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. - हनुमानगढ़
5. सुश्री अनुराधा सक्सेना, कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. - नागौर
6. सुश्री मेघा रतन, कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. - भीलवाड़ा
7. सुश्री सुनीता मीणा, कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. - दौसा


(वीरेन्द्र मेहता)
मुख्य लेखाधिकारी
महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ-13(1)()निमअ/संस्थान/2012/ 36015-38
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक 9/4/13

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त एवं शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, एस.एच.जी.-मुख्यालय
3. विशेषाधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर रेल्वे स्टेशन के पास, पी.एच. रोड़ जयपुर केन्द्र, जयपुर
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- बारां, बूंदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, भीलवाड़ा, दौसा
5. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां, बूंदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, भीलवाड़ा, दौसा
6. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, बारां, बूंदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, भीलवाड़ा, दौसा को भेजकर लेख है कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना सुनिश्चित करें।
7. आदेश पत्रावली।


मुख्य लेखाधिकारी
महिला अधिकारिता